हिंदी शिक्षण

1 -अन्विति - हिंदी भाषा

1.1 भाषा अर्थ ,महत्व ,मानक भाषा एवं मातृभाषा

भाषा का अर्थ

अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के अभिप्राय को समझाने के साधन को भाषा कहते हैं।

विचारों के आदान प्रदान के सबसे पहले सबसे सरल एवं सफल साधन को भाषा कहते हैं।

भाषा शब्द की व्युत्पत्ति :

भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है।

भाषा शब्द का अर्थ है –बोलना।

भाषा की उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं कि भाषा की प्रकृति का मूल संबंध बोलने वाली भाषा अर्थात मौखिक भाषा से है ।
अंग्रेजी में भाषा के लिए लैंग्वेज शब्द का प्रयोग होता है।
भाषा तीन रूपों में ग्रहण की जाती है - नेत्र ग्राह्य, श्रोत ग्रह्य एवं स्पर्श ग्राह्य

भाषा की परिभाषाएँ:-

वह वाग जिसमें वाणी द्वारा व्यक्त होते हैं, वह वाक् अर्थात भाषा है - **पाणिनी**
भाषा ध्वनियों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है - **मिस्टर स्वीट**
लोकव्यवहारे प्रचलित वागेव भाषा शब्देन व्यवहृता - **ब्राह्मण ग्रंथ**
निर्दोष वाग से कल्याण होता है – **आँगिरस**
वाच से दिव्यता, सुमति और श्रेय की प्राप्ति होती है - **शशीकर्ण**
भाषा की विभिन्न शैलियां बहुविध अर्थ को प्रकट करती हैं - **वामदेव गौतम**
देवों ने पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों को भाषा प्रदान की है - **अथर्ववेद**
सर्व प्रथम इंद्र ने मनुष्य को ईश्वर स्तुति के लिए भाषा प्रदान की है - **ऋग्वेद में कुत्से**

1. मानवीय भाषा वर्णात्मक होती है।
2. भाषा की ध्वनियों में विचारों का रहना अनिवार्य है।
3. बोलचाल में प्रयोग होने वाली ही भाषा है।
4. भाषा से लोगों की भलाई होती है।
5. भाषा से हमें यश, कीर्ति और सद्बुद्धि मिलती है।
6. भाषा में शैली का विशेष महत्त्व है। इसके परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है।
7. भाषा ईश्वरीय देन है।

3:43

भाषा का महत्व-importance of language

1. भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है-

भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। मनोभावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों अपने सुख-दुख को एक दूसरे व्यक्ति से कहता है तथा सुनता है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य अपने भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ विचार-विनिमय करता है।

2. भाषा मानव विकास का मूलाधार है-

भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वैसे तो संसार के अंय प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य के पास ही है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता।

3. भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है-

जैसे-जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे -वैसे उन की सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान -विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ। तब ही किसी जाति समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। अतः भाषा की कहानी ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी है।

4. विचार शक्ति का विकास

भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है व मनन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव ही है।

5. ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है-

भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दी है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है तथा भाषा का विकास होता रहता है।

6. भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है-

भाषा के माध्यम से हम अपने भाव,विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव-विचार, अनुभव एवं आकांक्षाएं जोड़कर अपने से आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित कर देती है। भाषा के अभाव में यह सब असंभव है।

मानक भाषा

जिस भाषा का प्रयोग प्रतिष्ठित समाचार पत्रों , पत्रिकाओं , रेडियो और दूरदर्शन , शासकीय आदेश , पत्रव्यवहार आदि में किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं ।

मानक भाषा में निम्नलिखित चार तत्त्वों का समावेश होना चाहिए:

ऐतिहासिकता , मानकीकरण , जीवन्तता और स्वयत्तता ।

मानक भाषा के निम्नलिखित लक्षण होते हैं :

वह भाषा सबके द्वारा मान्य होती है ।

वह व्याकरण सम्मत होती है ।

वह आवश्यकताओं के अनुरूप निरन्तर विकास करती रहती है ।

वह नए शब्दों का निर्माण करने के साथ दूसरे नए शब्दों को अपने में मिला भी लेती है ।

3:46

3. उससे क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात् वह एकरूप होती है।
4. वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों का कार्य सम्पादित करने में सक्षम होती है।
5. वह सुस्पष्ट, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। उसके सम्प्रेषण से काई भ्रान्ति नहीं होती।
6. वह नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरन्तर विकसित होती रहती है।
7. नये शब्दों के ग्रहण और निर्माण में वह समर्थ होती है।
8. वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीय विशेषता अथवा शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उसका ढाँचा सुदृढ़ एवं स्थिर होता है।
9. उसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है।
10. वह परिनिष्ठित, साधु एवं संभ्रान्त होती है।

इस दृष्टि से आज हिन्दी भी एक मानक भाषा है अर्थात् जहाँ-जहाँ हिन्दी लिखी या पढ़ी जाती है या पढ़े-लिखे लोग उसका व्यवहार करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह व्याकरणसम्मत हो और उसका व्याकरण वही हो जो सर्वमान्य है।

मातृभाषा क्या है

जन्म से हम जो भाषा का प्रयोग करते है वही हमारी मातृभाषा है। सभी संस्कार एवं व्यवहार इसी के द्वारा हम पाते है। इसी भाषा से हम अपनी संस्कति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते है।

सभी राज्यों के लोगों का मातृभाषा दिवस पर अभिनन्दन - हर वो कोई जो उत्सव मना रहा है। उत्सव के लिए कोई भी कारण उत्तम है। भारत वर्ष में हर प्रांत की अलग संस्कृति है, एक अलग पहचान है। उनका अपना एक विशिष्ट भोजन, संगीत और लोकगीत हैं। इस विशिष्टता को बनाये रखना, इसे प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है।

हिन्दी भाषा के विविध रूप

बोलचाल की भाषा

मानक भाषा

सम्पर्क भाषा

राजभाषा

राष्ट्रभाषा

प्रादेशिक भाषा

सांस्कृतिक भाषा

अंतर्राष्ट्रीय भाषा

विदेशी भाषा

बोलचाल की भाषा

'बालेचाल की भाषा' को समझने के लिए 'बोली' (Dialect) को समझना जरूरी है। 'बोली' उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन-समूह का महत्त्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली 'भाषा' कही जाने लगती है, अन्यथा वह 'बोली' ही रहती है। स्पष्ट है कि 'भाषा' की अपेक्षा 'बोली' का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्त्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियाँ होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है।

जब कई व्यक्ति-बोलियों में पारस्परिक सम्पर्क होता है, तब बालेचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती-जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे 'सामान्य भाषा' के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है।

मानक भाषा

भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषाविज्ञान कोश के अनुसार 'किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं।

मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएँ हैं।

किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है, उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-रचना, शब्द और शब्द-रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से, उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। मानकता अनेकता में एकता की खोज है, अर्थात यदि किसी लेखन या भाषिक इकाई में विकल्प न हो तब तो वही मानक होगा, किन्तु यदि विकल्प हो तो अपवादों की बात छोड़ दें तो कोई एक मानक होता है। जिसका प्रयोग उस भाषा के अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है। उस भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है।

मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उसका सम्बन्ध भाषा की संरचना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है। मानक भाषा को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण होता है तथा समाज में उसी का बोलना-लिखना, उसी का खाना-पीना, उसी के रीति-रिवाज़ अनुकरणीय माने जाते हैं। मानक भाषा मूलत: उसी वर्ग की भाषा होती है।

सम्पर्क भाषा

अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति, राज्य-राज्य तथा देश-विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और सम्पर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत मे सम्पर्क भाषा के तौर पर हिन्दी प्रतिष्ठित होती जा रही है जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। सम्पर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएँ भी रखी जाती हैं।

जब कोई भाषा 'lingua franca' के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुतासम्पन्न भाषा बन जाती है। यह तो जरूरी नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं।

राजभाषा

जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अन्तर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं। लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की सम्पर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ राजभाषा हैं। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है।

राष्ट्रभाषा

देश के विभिन्न भाषा-भाषियों में पारस्परिक विचार-विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है; जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा कनाड़ा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया हे लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो; जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है।

बोलचाल की भाषा

'बालेचाल की भाषा' को समझने के लिए 'बोली' (Dialect) को समझना जरूरी है। 'बोली' उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन-समूह का महत्त्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली 'भाषा' कही जाने लगती है, अन्यथा वह 'बोली' ही रहती है। स्पष्ट है कि 'भाषा' की अपेक्षा 'बोली' का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्त्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियाँ होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है।

जब कई व्यक्ति-बोलियों में पारस्परिक सम्पर्क होता है, तब बालेचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती-जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे 'सामान्य भाषा' के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है।

प्रादेशिक भाषा

प्रादेशिक भाषा से मतलब किसी प्रदेश की भाषा से है। प्रादेशिक भाषा के लिए एक राज्य होना जरुरी है। जबकि राष्ट्रभाषा के लिए किसी राज्य या प्रदेश का होना जरूरी नहीं है। प्रादेशिक भाषा और राज्यभाषा में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है।

राज्य भाषा को हम प्रादेशिक भाषा के रूप में मान सकते हैं। क्योंकि प्रदेश या प्रान्त शब्द की अपेक्षा राज्य शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रादेशिक भाषा शब्द भारत के संविधान में भाग 17 के अध्याय 2 के 345, 346 और 347 अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है।

सिंधी और संस्कृत प्रादेशिक भाषा में नहीं आती हैं क्योंकि इनका अपना प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इन दस राज्यों की भाषा प्रादेशिक है, यहाँ हिंदी समझी जाती है।

इन राज्यों को हिंदी राज्य कहा जाता है। ये क्षेत्र 'क' सूची में आते हैं। इससे यह पता चलता है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्रादेशिक भाषा है। अंग्रेजी शब्द 'Regional Language' का पर्यायवाची शब्द प्रादेशिक भाषा है।

'ख' सूची में आने वाले क्षेत्र गुजरात – गुजराती भाषा, महारष्ट्र – मराठी भाषा, पंजाब- पंजाबी भाषा, चंडीगढ़- पंजाबी और हिंदी भाषा हैं। ये क्षेत्र अहिन्दी भाषी क्षेत्र हैं।

कुछ क्षेत्र 'ग' सूची में आते हैं, जिन्होंने हिंदी को नहीं अपनाया है –

1. आंध्र प्रदेश – तेलुगु
2. तमिलनाडु- तमिल
3. कर्णाटक – कन्नड़
4. केरल – मलयालम
5. जम्मू-कश्मीर – कश्मीरी
6. नागालैंड – अंग्रेजी
7. मेघालय – अंग्रेजी
8. मणिपुर – मणिपुरी
9. त्रिपुरा – बांग्ला, अंग्रेजी
10. असम – असमिया
11. अरुणाचल प्रदेश- अंग्रेजी
12. उड़ीसा – उड़िया
13. पश्चिमी बंगाल – बांग्ला
14. सिक्किम-नेपाली, अंग्रेजी
15. पॉन्डिचेरी – तमिल, अंग्रेजी
16. मिजोरम – अंग्रेजी
17. गोवा – कोंकणी
18. दमन – दीव – गुजराती
19. लक्षदीप दीव-समूह- मलयालम
20. दादरा एवं नगर हवेली – हिंदी, गुजराती
21. अंडमान निकोबार दीप समूह – हिंदी

अंतर्राष्ट्रीय भाषा

english: international language

अवलोकन

एक अंतरराष्ट्रीय सहायक भाषा या interlanguage (कभी कभी IAL या auxlang के रूप में संक्षिप्त), जो एक आम पहली भाषा का हिस्सा नहीं है विभिन्न देशों से लोगों के बीच संचार के लिए एक भाषा है। एक सहायक भाषा मुख्य रूप से एक विदेशी भाषा है।
सदियों से प्रमुख समाजों की भाषाओं ने सहायक भाषाओं के रूप में कार्य किया है, कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। लैटिन, ग्रीक और भूमध्यसागरीय लिंगुआ फ़्रैंका का इस्तेमाल अतीत में किया गया था, और (मानक) अरबी, मानक चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश दुनिया के कई हिस्सों में हाल के दिनों में इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि, चूंकि ये भाषाएं बहुत प्रभुत्व-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक से जुड़ी हैं-जो उन्हें लोकप्रिय बनाती हैं, उन्हें अक्सर प्रतिरोध के साथ भी मुलाकात की जाती है। इस कारण से, कुछ ने एक कृत्रिम या निर्मित भाषा को संभावित समाधान के रूप में बढ़ावा देने के विचार को बदल दिया है।

"सहायक" शब्द का तात्पर्य यह है कि इसका उद्देश्य अपनी मूल भाषाओं को बदलने के बजाय दुनिया के लोगों के लिए एक अतिरिक्त भाषा होना है। अक्सर, शब्द का प्रयोग विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संचार, जैसे एस्पेरांतो, इडो और ईन्टरलिंगुआ को कम करने के लिए प्रस्तावित योजनाबद्ध या निर्मित भाषाओं के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि, यह अंतरराष्ट्रीय सहमति से निर्धारित ऐसी भाषा की अवधारणा को भी संदर्भित कर सकता है, जिसमें एक मानक प्राकृतिक भाषा (उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी) भी शामिल है, और यह एक सार्वभौमिक भाषा बनाने की परियोजना से भी जुड़ा हुआ है।

सांस्कृतिक भाषा

सांस्कृतिक भाषा के दो अर्थ हो सकते हैं-
(1) संस्कार की गई भाषा अर्थात् परिष्कृत भाषा और
(2) संस्कृति विशेष के व्यापक तत्वों को समाहित करने वाली भाषा।
प्रस्तुत संदर्भ में सांस्कृतिक भाषा का दूसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहा हे। विगत सौ वर्षों में, मुख्यतः स्वातंयोत्तर काल में हिन्दी भाषा का एकाधिक दृष्टियों से विकास हुआ है। राष्ट्रभाषा के रूप में तो इसके विकास से सभी परिचित है। किंतु विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के कारण आज 'राजभाषा हिन्दी', 'कामकाजी हिन्दी', तकनीकी हिन्दी जैसे अनेक शब्द चल पड़े है जो उसके निरंतर विकासमान स्वरूप के परिचायक हैं। हिन्दी के ये सभी रूप उसके मानक रूप के आधार पर निर्मित हुए हैं जिनसे भाषा की आंतरिक संरचना भी प्रभावित हुई है।

देखना यह है कि सांस्कृतिक प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए हिन्दी का किस प्रकार प्रयोग हुआ है और इन प्रयोगों ने उसकी संरचना को कहाँ तक प्रभावित किया है।

भारतीय संस्कृति के एकाधिक तत्वों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति हिन्दी में प्राचीन काल से ही लक्षित होने लगती है। इसी गुण के कारण मध्ययुगीन साधु संतों से उसे सार्वदेशिक रूप प्रदान किया था। ब्रजभाषा गुजरात से लेकर असम तक भारतीय संस्कृति की संवाहिका बनी थी और अवधी कोसल जनपद को लाँघकर छत्तीसगढ़ तक फैल गई थी। आधुनिक काल में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने पर इसने भी सार्वजनिक होने का प्रयास किया और यह अखिल भारतीय राजकाज की भाषा बन गई। इस समय यह 'नागर संस्कृति' के साथ साथ 'लोक संस्कृति' को भी उजागर करती है। आधुनिक हिन्दी लेखन द्वारा खड़ी बोली हिन्दी के इस सांस्कृतिक स्वरूप का जो निखार और परिष्कार हुआ है, उसी का यहाँ पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

विदेशी भाषा

जो भाषा अन्य देश में बोली/समझी जाती है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो भाषा स्वदेश में नहीं बोली जाती वह विदेशी भाषा है, जैसे रूसी भारत के लिये एक विदेशी भाषा है।

उपर्युक्त भाषा के प्रकारों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि लोग अपने विचारों और भावों को भाषा के द्वारा ही प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने आपसी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा ही एक मात्र साधन है।

धन्यवाद

- डॉ रेखा शर्मा
  सहायक आचार्य (शिक्षा शास्त्र विभाग)
  राष्ट्रिय -संस्कृत –संस्थानम्
  जयपुर परिसर